मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक: एफ 6-14/2012/अ-ग्यारह भोपाल, दिनांक: 28/07/2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त सम्भागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः-मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015

राज्य शासन एतद् द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के आदेश क्रमांक 11208-3209-ग्यारह-अ, दिनांक 26 अगस्त, 1974 से मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता जिल्द-2 के विद्यमान परिशिष्ट-5 में प्रतिस्थापित मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन संबंधी पूर्व में जारी समस्त आदेश, निर्देश/नियम निष्प्रभावी करते हुए संलग्न परिशिष्ट अनुसार "मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015" तत्काल प्रभाव से जारी कर लागू करता है।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

...../2/

पृ0 क्रमांक: एफ 6-14/2012/अ-ग्यारह भोपाल, दिनांक: 28/07/2015

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2. महालेखाकार म. प्र. ग्वालियर, लेखा परीक्षा/लेखा एवं हकदारी, ग्वालियर।
3. माननीय राज्यपाल के सचिव, म.प्र. भोपाल
4. सचिव, लोक सेवा आयोग म.प्र. इन्दौर
5. सचिव, लोकायुक्त, म.प्र. भोपाल
6. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. प्रबंध संचालक, म.प्र. लघु उद्योग निगम भोपाल।

   की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

8. उप नियंत्रक शासन, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश भोपाल को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
9. प्रेस अधिकारी, जनसम्पर्क एवं प्रेस प्रकोष्ठ, मत्रालय, भोपाल।

(अनिल भारतीय)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

परिशिष्ट

मध्य प्रदेश भण्डार कय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015

भाग–1–वस्तुओं का उपार्जन

1. प्रस्तावना (Introduction)

शासकीय कय में कार्यकुशलता, समयबद्धता, मितव्ययिता, पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित् करने के साथ–साथ प्रदेश के सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य शासन, शासकीय विभाग एवं उनके घटकों द्वारा सामग्री एवं सेवा उपार्जन हेतु **"मध्य प्रदेश भण्डार कय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015"** लागू करता है।

2. प्रभावशीलता (Applicability)

ये नियम मध्यप्रदेश शासन के समस्त विभागों, राज्य शासन की 50 प्रतिशत से अधिक अंशधारिता वाले समस्त उपकमों, निगमों, मंडलों, विपणन संघ, सहकारी संस्थाओं, मंडी बोर्ड एवं कृषि उपज मंडी समितियों तथा पंचायत एवं नगरीय निकायों पर प्रभावशील होंगे। ये नियम राज्य शासन द्वारा इस प्रयोजन हेतु समय–समय पर विनिर्दिष्ट निकाय, संस्थान अथवा अभिकरण आदि पर भी लागू होंगे। ऐसी वस्तुओं के कय पर यह नियम लागू नहीं होंगे, जो शासन के विभागों/निगमों/मण्डलों द्वारा विकय (trading) के लिए कय की जाती है।

3. परिभाषाएं (Definitions)

3.1 **कयकर्ता** (indentor) से अभिप्रेत है कय आदेश जारी करने हेतु प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी।

3.2 **सामग्री** (Goods) से अभिप्रेत है कयकर्ता द्वारा लोक दायित्व के निर्वहन में उपयोग हेतु कय की जाने वाली वस्तुयें लेकिन इसमें पुस्तकें, प्रकाशन, सामयिक पत्र–पत्रिकायें आदि शामिल नहीं है।

3.3 **उपार्जनकर्ता अभिकरण** से अभिप्रेत है कयकर्ता की मांग के परिप्रेक्ष्य में प्रदायकर्ता के माध्यम से सामग्री/सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु राज्य शासन द्वारा नियम 6 के तहत अधिकृत संस्था।

3.4 डी.जी.एस. एण्ड डी. (D.G.S. & D.) से अभिप्रेत है भारत सरकार का केन्द्रीय क्रय संगठन।

3.5 **प्रदायकर्ता** (Supplier) से अभिप्रेत है क्रयकर्ता को लोक सेवाओं के सम्बन्ध में उपयोग हेतु वस्तुयें/सेवायें प्रदान करने वाले निर्माता/सेवा प्रदाता/उद्यम/विभाग/संस्था/फर्म/प्रदेश में गठित स्व–सहायता समूह/व्यक्ति आदि ।

3.6 **पंजीकृत आपूर्तिकर्ता** (Registered Supplier) से अभिप्रेत है सीमित निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु उपार्जनकर्ता अभिकरणों में पंजीकृत प्रदायकर्ता।

3.7 **निविदा प्रपत्र** (Tender Document) से अभिप्रेत है ऐसे समस्त दस्तावेज जिनमें किसी सामग्री/सेवा की आवश्यकता, मात्रा, तकनीकी विवरण एवं विशिष्टियां, क्रय/उपार्जन हेतु निर्धारित मापदण्ड, अनुमानित मूल्य, प्रदाय स्थल, कार्य की सूची, कार्य का तिथिवार निर्धारण, कार्य सम्पादन की अंतिम तिथि, सुरक्षा निधि/गारंटी मनी भुगतान की शर्त आदि सहित क्रय हेतु आवश्यक अन्य सभी जानकारियाँ समाहित हों ।

3.8 **निविदा** (Tender) से अभिप्रेत है निविदा आमंत्रण सूचना के प्रतिउत्तर में सामग्री/सेवायें प्रदान करने हेतु प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत औपचारिक प्रस्ताव ।

3.9 **निविदा आमंत्रण प्राधिकारी** (Tender Inviting Authority) से अभिप्रेत है निविदा आमंत्रित करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी ।

3.10 **निविदा स्वीकारकर्ता प्राधिकारी** (Tender Accepting Authority) से अभिप्रेत है निविदा स्वीकार करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी ।

3.11 **निविदाकर्ता** (Tenderer) से अभिप्रेत है निविदा प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति, फर्म अथवा कम्पनी ।

3.12 **आरक्षित सामग्री** (Reserved Items) से अभिप्रेत है समय–समय पर पुनरीक्षण के अध्यधीन नियम के अनुसार परिशिष्ट अ एवं ब में उल्लेखित वस्तुएँ ।

3.13 **अनारक्षित सामग्री** (Unreserved Items) से अभिप्रेत है आरक्षित सामग्री को छोड़कर अन्य सामग्री

3.14 **सूक्ष्म एवं लघु उद्योग** से अभिप्रेत है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा–7 अंतर्गत परिभाषित उद्यम ।

4. क्रय के मूल सिद्धांत :

लोक हित में क्रय हेतु सक्षम प्राधिकारी की यह जिम्मेदारी और जवाबदेही होगी कि वह क्रय से संबंधित प्रकरणों में कार्यकुशलता, समयबद्धता, मितव्ययिता, पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के साथ–साथ प्रदेश के सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को बढ़ावा देते हुए समस्त आपूर्तिकर्ताओं के साथ उचित और समान व्यवहार रखे।

5. क्रय के लिए सक्षम प्राधिकारी :

क्रय हेतु स्वीकृति प्रदान करने के अधिकार राज्य शासन द्वारा किए गए वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के अनुसार अथवा सामान्य या विशिष्ट आदेश से अधिकृत अधिकारी को रहेंगे। निगमों, मण्डलों तथा अन्य अर्धशासकीय संस्थाओं अंतर्गत ये अधिकार उनके वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन से शासित होंगे।

6. आरक्षित सामग्रियों का कय :

राज्य शासन कतिपय वस्तुओं को किसी विशिष्ट उपार्जनकर्ता अभिकरण के माध्यम से कय हेतु आरक्षित कर सकेगा। परिशिष्ट–अ एवं ब में वर्णित वस्तुओं का कय इन परिशिष्टों में उल्लेखित उपार्जनकर्ता अभिकरणों के माध्यम से किया जाएगा।

7. आरक्षित सामग्रियों का प्रदायकर्ताओं के माध्यम से सीधे कय :

नियम–6 के अंतर्गत प्रदाय हेतु अधिकृत उपार्जनकर्ता अभिकरणों द्वारा प्रदायकर्ताओं के साथ दर अनुबंध निष्पादित किया जायेगा। निष्पादित समस्त दर अनुबंधों का विवरण उपार्जनकर्ता अभिकरणों द्वारा अपनी–अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाकर उसे अद्यतन रखा जायेगा। कयकर्ता उपरोक्तानुसार निर्धारित दरों पर दर अनुबंधित इकाईयों को इस कार्य हेतु निर्मित पोर्टल के माध्यम से प्रदाय आदेश जारी करेंगे। इस कार्य हेतु प्रदायकर्ता द्वारा संबंधित उपार्जनकर्ता अभिकरण को दो प्रतिशत सेवा शुल्क एवं पृथक से निरीक्षण शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

8. अनारक्षित सामग्री का कय/उपार्जन :

अनारक्षित सामग्री का क्रय नियम 9, 10 एवं 11 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कयकर्ताओं द्वारा सीधे किया जा सकेगा। उक्त सामग्री की दरें डी.जी.एस. एण्ड डी. और/या म.प्र. लघु उद्योग निगम में उपलब्ध होने की दशा में कयकर्ता द्वारा इन संस्थाओं से भी सामग्री कय की जा सकेगी। चाहे गये Specification उपलब्ध न होने पर भण्डार कय नियम के प्रावधान के तहत कय किया जा सकेगा।

9. <u>बिना कोटेशन के सामग्री का क्रय :</u>

क्रय के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित फार्मेट में रिकार्ड किये जाने वाले एक प्रमाण पत्र के आधार पर कोटेशन या निविदा आमंत्रित किये बगैर प्रत्येक अवसर पर **रूपये 20,000/– (रूपये बीस हजार मात्र)** तक के मूल्य के अनारक्षित सामग्री की खरीद की जा सकेगी –

"मैं .... व्यक्तिगत तौर पर संतुष्ट हूं कि क्रय की गई सामग्री अपेक्षित गुणवत्ता और विनिर्देशनों (स्पेसिफिकेशन) के अनुसार है और इसका क्रय विश्वस्त आपूर्तिकर्ता से उचित कीमत पर किया गया है।"

कयकर्ता अधिकारी के द्वारा इस पद्वति का उपयोग एक माह में पांच बार से अधिक अवसरों पर नहीं किया जा सकेगा।

10. <u>विभागीय कय समिति द्वारा कय :–</u>

प्रत्येक शासकीय कार्यालय के लिए कार्यालय प्रमुख के द्वारा कार्यालय में पदस्थ शासकीय सेवकों की विभागीय कय समिति गठित की जाएगी। अर्धशासकीय संस्थाओं में विभागीय कय समिति का गठन संस्था के वरिष्ठतम अधिकारी (यथा प्रबंध संचालक, आयुक्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी) के द्वारा किया जाएगा। विभागीय कय समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रत्येक अवसर पर **20,000/– रूपये (बीस हजार रूपये मात्र)** से **अधिक और 1,00,000/– (एक लाख रूपए मात्र)** तक की अनारक्षित सामग्री का क्रय किया जा सकेगा । विभागीय कय समिति में उचित स्तर के न्यूनतम तीन सदस्य होंगे जिनमें से यथासंभव एक सदस्य वित्तीय मामलों का जानकार होगा। यह समिति, दर की उपयुक्तता, गुणवत्ता और विनिर्देशन (स्पेसिफिकेशन) सुनिश्चित करने के लिए बाजार का सर्वेक्षण करेगी और उपयुक्त आपूर्तिकर्ता की पहचान करेगी। क्रय/प्रदायादेश जारी करने की अनुशंसा करने के पूर्व समिति के सदस्य संयुक्त रूप से निम्नानुसार एक प्रमाण पत्र रिकार्ड करेंगे –

"प्रमाणित किया जाता है कि हम .... क्रय समिति के सदस्य संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत तौर पर इस बात से संतुष्ट हैं कि जिस सामग्री के क्रय की अनुशंसा की गई है वह अपेक्षित विनिर्देशनों (स्पेसिफिकेशन) और गुणवत्ता के अनुरूप है, इसकी कीमत प्रचलित बाजार दर के अनुसार है और जिस आपूर्तिकर्ता की सिफारिश की गई है वह प्रश्नगत सामग्री की आपूर्ति करने के लिए विश्वसनीय और सक्षम है ।"

इस पद्वति का उपयोग एक माह में दो बार से अधिक अवसरों पर नहीं किया जा सकेगा।

11. अनारक्षित सामग्री हेतु निविदा आमंत्रण :

(11.1) सीमित निविदा :

(11.1.1) इस पद्धति को निम्न मामलों में अपनाया जा सकेगा:–

(क) जब क्रय की जाने वाली सामग्री का अनुमानित मूल्य रूपये पॉच लाख तक है;

(ख) जब क्रय की जाने वाली सामग्री का मूल्य एक लाख रूपये से कम हो, परन्तु नियम 9 अथवा 10 में निर्धारित पद्धति से क्रय करना संभव अथवा वांछनीय नही हो;

(ग) नीचे मद 11.1.6 में उल्लेखित मामलों में।

(11.1.2) निविदा दस्तावेज की प्रतियां उन सभी फर्मों को जो कि उस सामग्री के प्रदाय हेतु पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की सूची में हैं, सीधे ही स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/कोरियर/ई–मेल से भेजी जाएगी। इसके अतिरिक्त सीमित निविदा को वेब आधारित प्रचार दिया जाएगा।

(11.1.3) बोलियों को प्रस्तुत करने के लिए ई–मेल से सूचना भेजे जाने के दिनांक से न्यूनतम 07 दिवस का समय दिया जाएगा।

(11.1.4) सीमित निविदा के प्रकरणों में तीन से अधिक पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से निविदा प्राप्त होना आवश्यक होगा।

(11.1.5) सीमित निविदा के प्रकरणों में ई–कॉमर्स साईट्स से क्रय का विकल्प उपलब्ध रहेगा। ई–कॉमर्स साईट्स के माध्यम से क्रय की स्थिति में राज्य शासन द्वारा अधिसूचित वेबसाईट्स में से क्रय किया जा सकेगा। इस हेतु न्यूनतम तीन प्रदायकर्ताओं के दरों की तुलना की जाएगी।

(11.1.6) जहां क्रय का अनुमानित मूल्य पांच लाख से अधिक हो, वहां भी निम्नलिखित परिस्थितियों में सीमित निविदा के माध्यम से खरीदी की जा सकेगी :–

(क) प्रशासकीय विभाग के द्वारा यह प्रमाणित किए जाने की दशा में कि आपातकालिक परिस्थितियां (Emergency Circumstances) विद्यमान हैं जिनके मद्देनजर विज्ञापित निविदा के माध्यम से क्रय न करने में शामिल कोई भी अतिरिक्त व्यय न्यायोचित है।

(ख) आपूर्ति के स्त्रोत निश्चित रूप से ज्ञात हैं और नए स्त्रोत की संभावना उन स्त्रोत (स्त्रोतों) से काफी कम है, जिन्हें प्राप्त किया गया है।

(11.1.7) आपूर्तिकर्ताओं का पंजीयन :–

(क) शासकीय विभागों एवं उनके घटकों के उपयोग के लिए सामान्यतः अपेक्षित सामग्री के क्रय के लिए विश्वसनीय स्त्रोत स्थापित करने की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा अधिकृत उपार्जनकर्ता अभिकरणों द्वारा पात्र और सक्षम आपूर्तिकर्ताओं की मदवार सूची तैयार की जाएगी। ऐसे अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं को "पंजीकृत आपूर्तिकर्ता" के रूप में जाना जाएगा। जब कभी आवश्यक हो, सभी विभाग इन सूचियों का उपयोग कर सकेगें। ऐसे पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को सीमित निविदा के माध्यम से सामग्री के क्रय के लिए प्रथम दृष्टया पात्र समझा जाएगा। यह प्रयास किया जाएगा कि पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की संख्या अधिक से अधिक हो ताकि प्रतिस्पर्धात्मक निविदाएं प्राप्त हो सके। आपूर्तिकर्ता के पंजीयन के पूर्व उनकी उत्पादन क्षमता, गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली, विक्रय उपरांत सेवा, वित्तीय पृष्ठ भूमि, पूर्व निष्पादन आदि का सावधानी पूर्वक सत्यापन किया जाना होगा। कोई विभागाध्यक्ष अथवा अर्द्धशासकीय संस्था भी, सामग्री के ऐसे आपूर्तिकर्ताओं को पंजीकृत कर सकेगा, जो उस विभाग/संस्था या उसके अधीनस्थ कार्यालय के लिए विशेष रूप से अपेक्षित हो।

(ख) आपूर्तिकर्ता/आपूर्तिकर्ताओं को एक निश्चित अवधि (1 से 3 वर्ष के बीच) के लिए पंजीकृत किया जाएगा जो सामग्री की प्रकृति पर निर्भर करेगा । इस अवधि के बाद जो आपूर्तिकर्ता पंजीकरण जारी रखना चाहता/चाहते हैं, उसे (उन्हें) नवीनीकरण के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। नए आपूर्तिकर्ता/आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण पर किसी भी समय विचार किया जा सकेगा, बशर्ते कि वे सभी अपेक्षित शर्तों को पूरा करते हों।

(ग) पंजीकृत आपूर्तिकर्ता के कार्य निष्पादन एवं आचरण की सतत निगरानी की जाएगी । यदि कोई पंजीकृत आपूतिकर्ता पंजीयन की शर्तों का पालन नहीं करते हैं, समय पर सामग्री की आपूर्ति नहीं करते हैं अथवा गुणवत्ता विहीन सामग्री की आपूर्ति करते हैं या किसी एजेंसी के सामने झूठी घोषणा करते हैं या किसी ऐसे विशेष आधार पर जो शासन की दृष्टि में लोकहित में नहीं है तो पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं की सूची से हटाया जा सकेगा ।

(घ) राज्य शासन द्वारा अधिकृत उपार्जनकर्ता अभिकरण द्वारा सीमित निविदा हेतु आपूर्तिकर्ताओं के पंजीयन के संबंध में कार्यवाही की जाएगी। इस कार्य हेतु

अभिकरण द्वारा निर्धारित पंजीयन शुल्क आपूर्तिकर्ताओं से लिया जाएगा। अभिकरण द्वारा आपूर्तिकर्ताओं का पंजीयन उनकी वित्तीय एवं उत्पादन क्षमता के आंकलन तथा स्थल निरीक्षण उपरांत किया जाएगा। आपूर्तिकर्ताओं के मदवार पंजीयन की कार्यवाही की जाकर इसकी सूची उपार्जनकर्ता अभिकरण के पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। इस सूची का उपयोग संबंधित क्रयकर्ता आवश्यकतानुसार कर सकेंगे ।

(11.2) खुली निविदा :–

(11.2.1) क्रय की जाने वाली सामग्री का अनुमानित मूल्य 05 लाख रूपये (रूपये पाँच लाख मात्र) से अधिक होने अथवा नियम 9, 10 अथवा 11.1 में निर्धारित पद्धति से क्रय करना संभव अथवा वांछनीय न होने की दशा में खुली निविदा के माध्यम से क्रय की कार्यवाही की जायेगी । खुली निविदा हेतु ई–टेण्डरिंग प्रणाली का उपयोग करना अनिवार्य होगा। विभागों के पास स्वयं की ई–पोर्टल सुविधा न होने की दशा में उनके द्वारा ई–टेण्डरिंग प्रणाली हेतु केन्द्र अथवा राज्य शासन के शासकीय/अर्द्ध शासकीय संस्थान के पोर्टल का उपयोग किया जा सकेगा ।

(11.2.2) ई–पोर्टल के अतिरिक्त व्यापक परिचालन वाले कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र एवं दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में संक्षिप्त विज्ञापन प्रकाशित कराया जाएगा तथा निविदा का विस्तृत विवरण पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(11.2.3) जिस संगठन की स्वयं की बेवसाईट हो, उसके द्वारा अपनी सभी विज्ञापित निविदाओं को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए एनआईसी बेवसाईट के साथ लिंक प्रदान की जाएगी।

(11.2.4) खुली निविदा निम्नानुसार टू बिड प्रणाली पर आधारित होगी :–

(क) वाणिज्यिक शर्त और निबंधन के साथ सभी तकनीकी ब्यौरे वाली तकनीकी बिड, और

(ख) वित्तीय बिड जिसमें तकनीकी बिड में उल्लेखित उत्पादों के लिए उत्पाद–वार कीमत दर्शाई गई हो ।

(11.2.5) आवश्यकतानुसार निविदा में वित्तीय बोलियां (फायनेन्सियल बिड) को खोलने के पूर्व सामग्री प्रदर्शन (demonstration) के प्रावधान का समावेश किया जा सकेगा ।

(11.2.6) सामान्यतः निविदा सूचना के प्रकाशन दिनांक से अथवा निविदा दस्तावेज के वेबसाइट पर अपलोड होने के दिनांक से, जो भी बाद में हो, न्यूनतम 21 दिवस का समय निविदाएं प्रस्तुत करने हेतु दिया जाना होगा। विशेष परिस्थितियो में कारण अभिलिखित करते हुए अल्पकालिक निविदा भी आमंत्रित की जा सकेगी जिसमें निविदा प्रस्तुत करने हेतु समय–सीमा निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 14 दिवस होगी ।

(11.3) <u>एकल निविदा :</u>

निम्नलिखित परिस्थितियों में एकल स्त्रोत से क्रय / उपार्जन का सहारा लिया जा सकेगा :

(11.3.1) यह प्रयोक्ता, विभाग / संस्था की जानकारी में है कि केवल एक फर्म विशेष ही अपेक्षित माल की विनिर्माता है ।

(11.3.2) आपात स्थिति में किसी अपेक्षित माल को विशेष स्त्रोत से खरीदना आवश्यक है और ऐसे निर्णय का कारण रिकार्ड किया जाना चाहिए तथा इस प्रकार के क्रय हेतु एक श्रेणी उच्चतर स्तर के अधिकारी (Next Higher Authority) का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

(11.3.3) मशीनरी या अतिरिक्त पुर्जों का मानकीकरण उपकरणों के वर्तमान सेटों के अनुकूल करने के लिए (सक्षम तकनीकी विशेषज्ञ की सलाह पर और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर) अपेक्षित मद को केवल किसी चुनी हुई फर्म से ही खरीदा जाना अपेक्षित है ।

(11.3.4) एकल स्त्रोत से क्रय / उपार्जन करने से पहले मंत्रालय / विभाग / संस्था के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित फार्म में औचित्य वस्तु प्रमाण–पत्र जारी किया जाएगा :–

(अ) मेसर्स............................द्वारा इच्छित माल का विनिर्माण किया गया है।

(ब) निम्नलिखित कारणों से कोई अन्य make या model स्वीकार्य नहीं है।

____

____

____

(स) सक्षन प्राधिकारी की अनुमति।

(क्रय / उपार्जन अधिकारी के पदनाम के साथ हस्ताक्षर)

12. निविदा दरों की स्वीकृति :

आमंत्रित निविदा में एक मात्र पात्र निविदाकर्ता की दरें भी दरों की उपयुक्तता (reasonability of rates) के परीक्षण उपरांत बाजार दर के अनुरूप पाये जाने की दशा में स्वीकार की जा सकेगी ।

13. निविदा दस्तावेजों की विषयवस्तु : निविदा दस्तावेजों में निम्नानुसार सभी शर्तों और निबंधनों (terms and conditions) और सूचनाओं का समावेश होगा :–

अध्याय–1: निविदाकर्ताओं के लिए अनुदेश

अध्याय–2: संविदा की शर्तें

अध्याय–3: अपेक्षाओं की अनुसूची

अध्याय–4: विनिर्देशन और अन्य संबंद्ध तकनीकी ब्यौरे

अध्याय–5: कीमत अनुसूची (निविदाकर्ताओं द्वारा अपनी कीमतें दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाना है)

अध्याय–6: संविदा फार्म

अध्याय–7: क्रयकर्ता/उपार्जनकर्ता और निविदाकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य मानक फार्म, यदि कोई हो,

14. रख रखाव अनुबंध (Maintenance Contract) :

क्रय/उपार्जन की जाने वाली सामग्री की लागत और स्वरूप के आधार पर आवश्यकतानुसार सामग्री के आपूर्तिकर्ता के साथ या किसी अन्य सक्षम फर्म के साथ उचित अवधि के लिए रख रखाव संविदा की जा सकेगी। यह आवश्यक नही होगा कि यह सामग्री के आपूर्तिकर्ता के साथ ही किया जाए ।

15. निविदा की प्रतिभूति (Earnest money deposit) :

15.1 साधारणंतया, निविदा की प्रतिभूति, क्रय/उपार्जन की जाने वाली सामग्री के अनुमानित मूल्य के न्यूनतम दो प्रतिशत होगी। निविदा की प्रतिभूति की सही–सही राशि विभाग/उपार्जनकर्ता संस्था द्वारा निर्धारित की जाकर इस निविदा दस्तावेज में दर्शाया जाएगा। निविदा की प्रतिभूति राशि नगद या किसी भी वाणिज्यिक बैंक से विभाग/उपार्जनकर्ता संस्था के खाते में डिमांड ड्राफ्ट, मियादी जमा रसीद, बैंकर्स चैक अथवा बैंक गारंटी के रूप में जमा की जा सकेगी। निविदा की प्रतिभूति, निविदा की अंतिम वैधता तिथि के बाद पैंतालीस दिन की अवधि के लिए वैध होना आवश्यक होगा।

15.2 असफल निविदाकर्ताओं की निविदा की प्रतिभूतियों को निविदा की अंतिम वैधता तिथि की समाप्ति के बाद यथाशीघ्र और संविदा प्रदान किए जाने के बाद अधिकतम 30 दिन के अंदर लौटाई जाएगी ।

16. <u>निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee):</u>

16.1 संविदा का उचित निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सफल निविदाकर्ता से आवश्यकतानुसार निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त की जा सकेगी। निष्पादन प्रतिभूति की राशि सामान्यतः संविदा के मूल्य के पांच से दस प्रतिशत होगी । निष्पादन प्रतिभूति राशि नगद या किसी भी वाणिज्यिक बैंक के डिमांड ड्राफ्ट, नियादी जमा रसीद, बैंकर्स चैक एवं *irrevocable* बैंक गारंटी के रूप में जमा की जा सकेगी। प्रस्तुत बैंक गारंटी का सत्यापन संबंधित बैंक से कराया जाएगा ।

16.2 निष्पादन प्रतिभूति, वारंटी बाध्यताओं सहित आपूर्तिकर्ता की सभी संविदाकृत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख के बाद साठ दिन की अवधि तक के लिए वैध होना आवश्यक होगा।

16.3 निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त होने पर सफल निविदाकर्ता को निविदा प्रतिभूति लौटाई जाएगी।

17. <u>निर्माता इकाइयों का निरीक्षण</u> :

उपार्जनकर्ता अभिकरणों द्वारा आवश्यकतानुसार प्रदायकर्ता/उत्पादनकर्ता की उत्पादन क्षमता आकलन हेतु उनके परिसर (Premises) का निरीक्षण किया जा सकेगा ।

18. <u>प्रदायकर्ता को प्रदाय आदेश</u> :

सफल निविदाकर्ता को प्रदाय की अवधि निर्धारित करते हुए क्रयकर्ता/उपार्जनकर्ता संस्था द्वारा प्रदाय आदेश जारी किया जाएगा। प्रदायकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह निर्धारित समयावधि में अपेक्षित गुणवत्ता की सामग्री का प्रदाय, प्रदाय आदेश में अंकित स्थान पर सुनिश्चित करें। निर्धारित समयावधि में प्रदाय नहीं किए जाने की दशा में निविदा की शर्तों के अनुसार प्रदायकर्ता पर शास्ति आरोपित की जा सकेगी।

19. <u>उपार्जनकर्ता अभिकरणों के माध्यम से प्राप्त सामग्री का गुणवत्ता निरीक्षण</u> :

19.1 उपार्जनकर्ता अभिकरणों द्वारा उनके माध्यम से उपार्जित की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु समस्त सामग्रियों का प्रदाय पूर्व निरीक्षण किया जाएगा।

19.2 क्रयकर्ता विभाग के परामर्श से निरीक्षण हेतु निरीक्षण एजेंसी का चयन किया जाएगा, जो सामग्री प्रदाय से पूर्व निर्माण स्थल पर उसका निरीक्षण करेंगे । निर्माण स्थल पर निरीक्षण करने के उपरांत निरीक्षणकर्ता एजेंसी द्वारा निरीक्षित सामग्री पर क्वालिटी कंट्रोल संबंधी सील/स्टीकर लगाया जाएगा। प्रदाय उपरांत विभाग/कंसाईनी द्वारा स्थल पर भी रैण्डम निरीक्षण किया जाएगा जिससे यह सुनिश्चित हो कि सामग्री विनिर्देशन के अनुरूप प्रदाय हुई है ।

19.3 कयकर्ता द्वारा कोई भी अनिरीक्षित सामग्री प्राप्त नहीं की जाएगी । भुगतान के पूर्व यह अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाएगा कि सामग्री का निरीक्षण हुआ है एवं वह विनिर्देशनों के अनुरूप है ।

19.4 प्राप्त सामग्री की गुणवत्ता विनिर्देशनों के अनुरूप नहीं होने की स्थिति में सामग्री प्राप्ति के 7 दिवस के अंदर उपार्जनकर्ता अभिकरण को ई–मेल/ई–पोर्टल के माध्यम से अवगत कराया जाना आवश्यक होगा।

19.5 भुगतान उपरांत गुणवत्ता में शिकायत होने पर उसकी जवाबदारी प्रदायकर्ता के अतिरिक्त कयकर्ता विभाग तथा निरीक्षणकर्ता एजेंसी की भी होगी ।

19.6 उपरोक्त प्रकिया समस्त क्रयकर्ता/उपार्जनकर्ता अभिकरणों एवं प्रदायकर्ताओं पर लागू होगी ।

20. <u>भुगतान :</u>

20.1 <u>अग्रिम भुगतान</u> :–

साधारणतया, दी गई सेवाओं या की गई आपूर्तियों के लिए भुगतान, सेवाएं प्रदान किए जाने या आपूर्तियां किए जाने पर ही किया जाना चाहिए तथापि कुछ प्रकार के मामलों में अग्रिम भुगतान करना आवश्यक हो सकता है, परन्तु ऐसा अग्रिम भुगतान समय–समय पर राज्य शासन अथवा सक्षम स्तर से वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन की सीमा से अधिक नहीं होगा।

20.2 <u>आंशिक भुगतान</u> :–

आपूर्तिकर्ता को उसके द्वारा प्रदायित सामग्री का आनुपातिक भुगतान आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।

21. <u>विलंबित भुगतान:</u>

भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 15 के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से कय का भुगतान अधिकतम 45 दिवस में करने की

बाध्यता है अन्यथा अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत रिजर्व बैंक द्वारा बैंक हेतु अधिसूचित ब्याज दरों से 3 गुना ब्याज देय होगा । ब्याज का भुगतान किए जाने की दशा में इसकी वसूली जवाबदार पाये गये कर्मचारी/अधिकारी से की जाएगी ।

22. **पुनरावृत्ति आदेश (Repeat Order) :**

पुनरावृत्ति आदेश पूर्व आदेश, जो हाल ही में दिया गया है, के विरूद्ध दिया जा सकेगा, परन्तु;

(1) किसी भी दशा में प्रारंभिक आदेश देने के छः माह के बाद पुनरावृत्ति आदेश नहीं दिया जायेगा,

(2) यदि मूल आदेश अत्यावश्यक या आकस्मिक मांग की पूर्ति हेतु दिया गया था तो पुनरावृत्ति आदेश नहीं दिया जायेगा तथा पुनरावृत्ति आदेश देते समय इस अभिप्राय को प्रमाणित किया जायेगा,

(3) नवीन मांग, मूल मांग की 50 प्रतिशत मात्रा से अधिक नहीं होगी,

(4) सक्षम अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि मूल आदेश देने के बाद से मूल्यों में गिरावट नहीं आई है और पुनरावृत्ति आदेश दिया जाना शासन के हित में है । इसके साथ ही प्रदायकर्ता से भी इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा कि उसके द्वारा निर्धारित दरों से कम दर पर इस अवधि में कहीं अन्यत्र सामग्री न तो प्रदाय की गई है और न ही प्रदाय किए जाने हेतु दरें ऑफर की गई है।

23. **क्रय/उपार्जन प्रकिया में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, औचित्य एवं मितव्ययिता :**

शासकीय क्रय/उपार्जन में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धात्मकता और औचित्य सुनिश्चित करने हेतु निम्न सावधानियां अपेक्षित हैं :-

(1) निविदा दस्तावेज स्वतः स्पष्ट और विस्तृत होना चाहिए और इसमें कुछ भी अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। प्रभावी निविदा प्रस्तुत करने के लिए जो सूचनाएं किसी निविदाकर्ता के लिए आवश्यक होती है वह सभी आवश्यक सूचनाएं साधारण भाषा में निविदा दस्तावेज में स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए। निविदा दस्तावेज में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों का भी समावेश होना चाहिए :

(क) निविदाकर्ता द्वारा पूरी की जाने वाली पात्रता और अर्हता मापदण्ड अर्थात अनुभव का न्यूनतम स्तर, विगत कार्य निष्पादन, तकनीकी क्षमता, विनिर्माण सुविधाएं और वित्तीय स्थिति आदि,

(ख) सामग्री के लिए पात्रता मानदण्ड जिसमें सामग्री आदि की उत्पत्ति के बारे में किसी कानूनी प्रतिबंध या शर्त का उल्लेख किया गया हो जिसे सफल आपूर्तिकर्ता द्वारा पूरा किया जाना अपेक्षित है,

(ग) निविदाएं भेजने की प्रक्रिया के साथ–साथ तारीख, समय और स्थान,

(घ) निविदा खोलने की तारीख, समय और स्थान,

(ङ) सुपुर्दगी/प्रदायगी की शर्तें,

(च) निष्पादन को प्रभावित करने वाली विशेष शर्तें, यदि कोई हों ।

(2) निविदा दस्तावेज में ऐसा प्रावधान रखा जाना चाहिए, जिससे निविदाकर्ता, निविदा की शर्तों, निविदा की प्रक्रिया और/या उसकी निविदा अस्वीकार कर दिए जाने पर प्रश्न कर सके ।

(3) निविदा दस्तावेज में परिणामी संविदा से उत्पन्न विवादों, यदि कोई हो, का निराकरण करने के लिए उचित प्रावधान रखा जाना चाहिए।

(4) निविदा दस्तावेज में यह स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए कि परिणामी संविदा की व्याख्या, भारतीय कानूनों के तहत की जाएगी।

(5) निविदाकर्ताओं को अपनी निविदाएं प्रस्तुत करने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए ।

(6) निविदा खोलने के अवसर पर निविदाकर्ताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधियों को उपस्थित रहने की अनुमति दी जानी चाहिए ।

(7) अपेक्षित सामग्री के विनिर्देशनों (specification) को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए ताकि संभावित निविदाकर्ता सार्थक निविदाएं प्रस्तुत कर सकें । पर्याप्त संख्या में निविदाकर्ताओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से विनिर्देशन यथा संभव, विस्तृत एवं व्यापक (generic) होने चाहिए ।

(8) निविदा–पूर्व सम्मेलन (pre-bid conference): अत्याधुनिक और कीमती उपकरण क्रय/उपार्जन के लिए तैयार निविदाओं या विशेष स्वरूप की निविदाओं के संबंध में निविदा–पूर्व सम्मेलन के लिए निविदा दस्तावेज में एक समुचित प्रावधान किया जाना चाहिए। निविदा दस्तावेज में निविदा–पूर्व सम्मेलन की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख किया जाना चाहिए। यह तारीख, निविदा खुलने की तारीख से पर्याप्त पूर्व की होनी चाहिए।

(9) निविदा दस्तावेजों में निविदाओं के मूल्यांकन हेतु मापदण्डों (criteria), जिनके आधार पर प्राप्त निविदाओं को समान स्तर पर मूल्यांकित किया जाकर न्यूनतम प्रदायकर्ता का निर्धारण किया जाएगा, का उल्लेख होना आवश्यक है।

(10) प्राप्त निविदाओं का मूल्यांकन, निविदा दस्तावेजों में पूर्व से उल्लेखित शर्तों और निबंधनों के अनुसार किया जाएगा, निविदाओं का मूल्यांकन करने के लिए ऐसी किसी नई शर्त को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जिसका पहले उल्लेख नही किया गया हो । निविदाओं का निर्धारण निविदा की विषय वस्तु के आधार पर किया जाएगा।

(11) निविदाएं प्राप्त होने की निश्चित समय–सीमा समाप्त होने के बाद निविदाकर्ताओं को अपनी निविदाओं में परिवर्तन करने या संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(12) विज्ञापित निविदा या सीमित निविदा के मामले में देर से प्राप्त हुई निविदाओं (अर्थात् निविदाएं प्राप्त करने की विनिर्दिष्ट तारीख और समय के बाद प्राप्त हुई निविदाएं) पर विचार नहीं किया जाएगा।

(13) निविदा खुलने के बाद निविदाकर्ताओं के साथ संधि–वार्ता (negotiation) नहीं की जाना चाहिए । इस संबंध में समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जाना चाहिए।

(14) दर संविदा प्रणाली में, जहां एक ही सामग्री के लिए कई फर्मों को दर संविदा में लाया जाता है, वहां निविदाकर्ताओं के साथ वार्ता करने तथा दरों के प्रति–प्रस्ताव (counter offer) की अनुमति रहेगी।

(15) क्वांटिटी टेंडर की स्थिति में न्यूनतम निविदाकर्ता को संविदा प्रदान की जाए, तथापि जहां तदर्थ आवश्यकता के लिए न्यूनतम स्वीकार्य निविदाकर्ता अपेक्षित पूरी मात्रा में आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं है तो जहां तक संभव हो बाकी मात्रा की आपूर्ति करने का आदेश न्यूनतम निर्धारित दरों पर अगले उच्च उत्तरप्रद निविदाकर्ता को दिया जाना चाहिए । कुल मांग के अनुमानित मूल्य के दृष्टिगत उच्च प्राधिकारी की स्वीकृति/अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए सामग्री की मांग को विभाजित कर क्रय नहीं किया जाना चाहिए ।

(16) जिस सफल निविदाकर्ता को संविदा प्रदान की जाती है उसके नाम का उल्लेख विभागों/उपार्जनकर्ता संस्था के नोटिस बोर्ड या बुलेटिन या वेबसाइट पर किया जाना चाहिए ।

24. पुनः क्रय प्रस्ताव (Buy Back Offer) :

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया जा सकेगा कि विद्यमान सामग्री के स्थान पर नई और बेहतर सामग्री का क्रय किए जाने की दशा मे विभाग नई सामग्री खरीदते समय विद्यमान पुरानी सामग्री का व्यापार (trade) कर सकेगा । इस प्रयोजनार्थ निविदा दस्तावेज में एक समुचित खंड अंतर्विष्ट किया जाएगा ताकि संभावित और इच्छुक निविदाकर्ता तदनुसार अपनी दरें प्रस्तुत कर सकें । व्यापार की जाने वाली पुरानी सामग्री के मूल्य और उसकी स्थिति के आधार पर सफल निविदाकर्ता को पुरानी सामग्री सौंपे जाने के समय और तरीके का उल्लेख निविदा दस्तावेज में उचित ढंग से किया जाएगा । विभाग द्वारा नई सामग्री क्रय करते समय पुरानी सामग्री के व्यापार करने या न करने का निर्णय लिए जाने संबंधी प्रावधान भी निविदा दस्तावेज में किया जाएगा ।

25. प्रदेश के उद्योगों को प्राथमिकता :

25.1 क्रय प्राथमिकता :

उपार्जनकर्ता अभिकरणों द्वारा अखिल भारतीय निविदा के माध्यम से क्रय की स्थिति में प्रदेश के उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी। अखिल भारतीय निविदा में प्रदेश के बाहर की इकाई की दर न्यूनतम होने की दशा में 50 प्रतिशत क्रय प्रदेश के बाहर की इकाई से तथा शेष 50 प्रतिशत नियम 25.2 अनुसार प्रदेश की इकाईयों से न्यूनतम दर पर किया जाएगा। प्रदेश की इकाई के दर के न्यूनतम होने की दशा में 100 प्रतिशत क्रय प्रदेश की इकाई के माध्यम से ही किया जाएगा।

25.2 निविदा में मूल्य कोटेशन :

उपार्जनकर्ता अभिकरणों द्वारा राज्य एवं अखिल भारतीय निविदा में सहभागी प्रदेश के प्रथम तीन सूक्ष्म और लघु उद्यमों जिन्होंने L1+15% के मूल्य बैंड के भीतर निविदा में दरें प्रस्तुत की हैं, वहां उनके मूल्य को L1 मूल्य के स्तर पर लाकर उनकी क्षमता के दृष्टिगत कुल निविदा मूल्य के अधिकतम 50 प्रतिशत तक के आपूर्ति की अनुमति होगी।

25.3 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को अन्य सुविधा :

25.3.1 प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को निविदा प्रस्तुत करने हेतु टेण्डर फार्म निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे।

25.3.2 प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को निविदा में प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) के भुगतान से छूट रहेगी।

26. आरक्षित सामग्री के क्रय की प्रक्रिया

26.1 परिशिष्ट 'अ'

परिशिष्ट "अ" में सम्मिलित वस्तुएं, जो कि समय–समय पर वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पुनरीक्षण के अध्याधीन हैं एवं मध्यप्रदेश के पंजीकृत सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों द्वारा निर्मित की जाती हैं, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित के मार्फत क्रय की जायेंगी । जिन सामग्री की दरें निगम द्वारा निर्धारित की जाती हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पृथक से ऐसी वस्तुएं क्रय करने हेतु निविदाएं आमंत्रित नहीं की जायेंगी ।

क्रय की प्रक्रिया :

26.1.1 मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम समय–समय पर समस्त विभागाध्यक्षों को एवं औद्योगिक संस्थानों को परिशिष्ट–"अ" अंतर्गत विपणित की जा रही वस्तुओं की सूची भेजेगा।

26.1.2 सभी शासकीय विभाग/अर्धशासकीय संगठन वर्ष के प्रारंभ में उक्त सूची में सम्मिलित सामग्री/सेवा के लिए अपनी वार्षिक आवश्यकता/क्रय आदेश लघु उद्योग निगम को प्रस्तुत करेंगे । मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम वांछित वस्तुओं की निविदायें आमंत्रित करेगा।

26.1.3 यदि कोई विभाग विशिष्ट आकार–प्रकार की वस्तु लघु उद्योग निगम के माध्यम से क्रय करना चाहता है, तो इस प्रकार की वस्तु के लिए भी मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम निविदायें मंगायेगा । निविदाएं ई–टेंडरिंग के माध्यम से बुलवाई जायेंगी ।

26.1.4 मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा प्राप्त निविदाओं पर अंतिम निर्णय लेने तथा दरों के निर्धारण हेतु विपणन समिति का उत्पादवार गठन किया जाएगा । इस समिति में मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के अधिकारियों के अतिरिक्त संबंधित विभाग के प्रतिनिधि भी सदस्य होंगे । समिति के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 05 होगी । विपणन समिति के गठन हेतु वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विभागाध्यक्ष से नामांकन प्राप्त किये जाकर कार्यवाही की जावेगी। विपणन समिति में आवश्यकतानुसार तकनीकी विशेषज्ञों एवं विषय–विशेषज्ञों को सम्मिलित किया जा सकेगा।

26.1.5 प्रदायकर्ता को भुगतान मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से भी किया जा सकता है । इस हेतु विभाग को निगम के "स्थानीय निधि खाता" जो मंत्रालय वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल में संधारित है, में अग्रिम रूप से राशि जमा करानी होगी ।

26.1.6 म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा संबंधित विभाग को क्रयादेश प्राप्त होने के 30 दिवस के अंदर उक्त क्रयादेश के संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत कराया जाना होगा।

26.2 <u>परिशिष्ट "ब"</u>

प्रदेश के हाथकरघा बुनकरों एवं मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा उत्पादित वस्त्र/सामग्री जो परिशिष्ट-"ब" में अंकित है तथा जो समय-समय पुनरीक्षण के अध्यधीन है, उन्हें बिना निविदाएं बुलाये सीधे आयुक्त/संचालक, हाथकरघा एवं हस्तशिल्प के माध्यम से तथा मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से उनके द्वारा निर्धारित दरों पर क्रय किया जाएगा। समस्त शासकीय विभाग/उपक्रम उन्हें लगने वाले कपड़े की आपूर्ति के लिए हाथकरघा वस्त्रों के प्रदाय आदेश आयुक्त/संचालक, हाथकरघा एवं हस्तशिल्प तथा खादी वस्त्रों के प्रदाय आदेश प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड मुख्यालय, भोपाल को 85 प्रतिशत अग्रिम राशि के साथ देंगे। उक्त आदेश की पूर्ति परिशिष्ट-"ब" में वर्णित अभिकरणों द्वारा की जाएगी। प्रदायकर्ता अभिकरण वस्त्रों की आवश्यकतानुसार सूत/कच्चा माल क्रय कर प्रदेश के बुनकरों से उत्पादन करायेंगे। यदि किन्हीं परिस्थिति में कोई भी विभाग/उपक्रम इस प्रक्रिया से छूट चाहता है तो उन्हें कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग से अभिमत लेकर मंत्रि-परिषद की स्वीकृति लेना होगी।

<u>परिशिष्ट "ब" में सम्मिलित वस्तुओं के लिए क्रय की प्रक्रिया :-</u>

26.2.1 परिशिष्ट "ब" में वर्णित वस्त्र/सामग्री का क्रय संलग्न तालिका अनुसार उपार्जनकर्ता अभिकरणों के माध्यम से किया जाएगा।

26.2.2 बिना अग्रिम राशि के वस्त्र/सामग्री प्रदाय आदेश मान्य नहीं किया जाएगा। अग्रिम राशि RTGS/NEFT के माध्यम से आयुक्त, हाथकरघा के पी.डी. खाता या खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के खाते मे जमा कराई जाएगी।

26.2.3 प्रदायकर्ता अभिकरण को अग्रिम प्रदाय के 6 माह की अवधि में या प्रदायकर्ता तथा क्रयकर्ता विभाग/उपक्रम द्वारा प्रस्तुत की प्रदाय शेड्यूल के अनुसार आदेश की पूर्ति की जाएगी। यदि निर्धारित समयावधि या शेड्यूल अनुसार वस्त्रों का प्रदाय नहीं किया जाता है तो शेष प्रदाय हेतु बचे वस्त्रों/सामग्री की कीमत पर शासन द्वारा प्रचलित ब्याज दर से ब्याज राशि का भुगतान संबंधित कियान्वयन अभिकरण जिसे प्रदाय हेतु अधिकृत कर अग्रिम दिया गया है, द्वारा संबंधित विभाग/उपक्रम को किया जाएगा।

26.2.4 वस्त्र/सामग्री के पूर्ण प्रदाय के उपरांत शेष 15 प्रतिशत राशि का भुगतान एक माह में संबंधित विभाग/उपक्रम द्वारा सीधे प्रदायकर्ता अभिकरण को किया जाएगा ।

भुगतान में विलम्ब पर शासन (वित्त विभाग) द्वारा निर्धारित दर से ब्याज राशि का भुगतान संबंधित क्रयकर्ता विभाग द्वारा प्रदायकर्ता अभिकरण को किया जाएगा।

26.2.5 क्रय मूल्य निर्धारण एवं प्रदाय में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के विस्तृत निर्देश कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा जारी किये जाएंगे।

27. (i) कारागार में निरूद्ध व्यक्तियों द्वारा उत्पादित सामग्रियों का क्रय जेल विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर बिना निविदा बुलाए किया जा सकेगा।

(ii) राज्य शासन द्वारा अधिसूचित शासकीय विभागों/उपक्रमों द्वारा उत्पादित सामग्री सीधे उनके द्वारा निर्धारित दरों पर क्रय की जा सकेगी, जो राज्य शासन द्वारा गठित की गई समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी।

28. सामग्रियों के प्रदाय हेतु प्रत्येक विभाग अपने स्तर पर वार्षिक प्रोक्योरमेंट प्लान बनायेगा, जिसे उपार्जनकर्ता अभिकरण को उपलब्ध कराया जाएगा। यथासंभव त्रैमासिक रूप से मांग पत्र भेजा जावेगा, जिससे कि प्रदाय हेतु अग्रिम योजना बनाई जा सके। विभाग की मांग, प्रदाय की समय सीमा तथा सामग्रियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रदाय हेतु समय–समय पर विभागों द्वारा जो समय–सीमा दी जाती है उसका पालन किया जाना होगा, अन्यथा उपार्जनकर्ता अभिकरण द्वारा तत्काल संबंधित विभाग को अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा, जिससे विभाग अपने स्तर से क्रय कर सकें । प्रदाय हेतु विभाग द्वारा उपार्जनकर्ता अभिकरण को न्यूनतम 45 दिवस का समय दिया जाएगा जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकेगा।

29. निम्न परिस्थितियों में इन नियमों के पालन से छूट रहेगी :–

(अ) प्राकृतिक आपदा, दंगे, अग्नि दुर्घटना ।

(ब) जहां पर सामग्रियां बाह्य पोषित परियोजनाओं (वर्ल्ड बैंक, ए.डी.बी. आदि) के अंतर्गत उनके शर्तों एवं नियमों अनुसार उपार्जित की जानी हैं, उनका क्रय, उनकी शर्तों एवं नियमों पर किया जाएगा। इस हेतु इन नियमों में छूट रहेगी। किसी परियोजना में वित्त पोषण संस्थाओं की इस संबंध में कोई शर्त एवं नियम नहीं होने की दशा में सामग्रियों का क्रय इन नियमों के अनुसार किया जाएगा ।

30. लोकहित में राज्य शासन नियम–6 के पालन से सामान्यतया छूट प्रदान कर सकेगा। औचित्य सहित छूट प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग, मध्य प्रदेश शासन को प्रशासकीय विभाग के माध्यम से प्रेषित किया जाना होगा।

31. भण्डार क्रय नियमों के प्रावधानों के पालन से विभागाध्यक्षों तथा प्रशासकीय विभागों को एक वित्तीय वर्ष अंतर्गत निम्नानुसार सीमा तक छूट रहेगी :–

क्र.	विवरण	अधिकृत प्राधिकारी
1.	रूपये 1.00 लाख तक	विभागाध्यक्ष
2.	रूपये 1.00 लाख से अधिक एवं रूपये 5.00 लाख तक	प्रशासकीय विभाग

32. उपार्जनकर्ता अभिकरण द्वारा लिये जाने वाले सेवा शुल्क की सीमा 02 प्रतिशत होगी।

33. क्रयकर्ता द्वारा प्रदायकर्ता अभिकरणों को क्रयादेश ई–मेल अथवा पोर्टल के माध्यम से भेजा जावेगा. ।

34. इन नियमों का उल्लंघन म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत् कदाचरण माना जाएगा।

35. उपरोक्त नियमों के लागू होने के दिनांक से मै.प्र. भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन हेतु पूर्व में जारी समस्त आदेश, निर्देश/नियम निष्प्रभावी होंगे; तथापि पूर्व नियमों के अंतर्गत प्रारंभ की जा चुकी भण्डार क्रय/सेवा उपार्जन की अपूर्ण कार्यवाही पूर्व नियमों के अंतर्गत पूर्ण की जा सकेगी ।

36. इन नियमों की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उपस्थित होने पर वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जा सकेगा जो अंतिम होगा ।

परिशिष्ट – अ

(नियम 6 देखें)

आरक्षित वस्तुओं की सूची

उपार्जनकर्ता अभिकरण – म.प्र. लघु उद्योग निगम मर्यादित

1. सभी प्रकार के वुडन फर्नीचर
2. सभी प्रकार के बर्तन इत्यादि
3. जनरल इंजिनियरिंग आयटम –

I आयरन कास्टिंग जैसे– सीवेज फिटिंग एण्ड अन्य ड्रेनेज आयटम, मेनहोल कवर

II बिल्डिंग मटेरियल–, स्टील स्टक्चर्स, ट्रसेज, स्टील डोर एण्ड विण्डो फ्रेम एवं ग्रील्स, स्टोरेज टेंक, सी.आई. स्लूज गेट्स इत्यादि

III बारबेड वायर, एस.एस. वायर, चेन लिंक

IV शीट मेटल सामग्री, स्टील ट्रंक एवं बाक्स, ड्रम एवं बैरल्स, कन्टेनर्स, रैक्स आदि

V विभिन्न प्रकार के स्टील फर्नीचर, आफिस, हास्पिटल एवं अन्य स्टील फर्नीचर

4. इलेक्ट्रिक केबल एवं वायर
5. वज़न एवं नापतौल सम्बन्धी उपकरण (बीम स्केल, वे–ब्रिज एवं मेट्रिक्स वेट्स)
6. सभी प्रकार के डिसइन्फेक्टेंट
7. पोलीथिन बेग, लेफ्लेट, ट्यूबिंग इत्यादि
8. सीमेंट कास्टिंग पाईप, फिटिंग एण्ड टाईल्स, पोल्स एवं प्रि–स्ट्रेस्ड पोल्स
9. एस्बेस्टॉस सीमेंट पाईप एण्ड फिटिंग्स
10. मेकेनिकल इंजीनियरिंग:–
    (i) डीप वेल टरबाइन पम्पिंग सेट
    (ii) पम्पिंग सेट (इलेक्ट्रिकल, डीजल एवं सोलर)
    (iii) सबमर्सिबल पम्प
11. हैण्डपंप एवं स्पेयर्स (इंडिया मार्क–II हैण्ड पंप एवं स्पेयर्स)
12. स्टील पाईप्स, जी.आई., एम.एस. एवं इनकी फिटिंग्स
13. सभी प्रकार के स्लूज वाल्व, गनमेटल वाल्व आदि ।
14. इनसेक्टिसाईड्स, पेस्टिसाईड्स, फंगीसाईड्स फारम्यूलेशन
15. मेथेमेटिकल किट, साईन्स किट एवं विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक किट
16. लेबोरेटरी इक्यूपमेंट (शैक्षणिक उपयोग हेतु)
17. लेबोरेटरी केमिकल्स एण्ड एनालिटिकल रीएजेंट्स (शैक्षणिक उपयोग हेतु)
18. एस्बेस्टॉस प्रेशर पाईप
19. ट्रेफिक सिग्नलिंग इक्यूपमेंट, रोड सेफ्टी इक्यूपमेंट, रेट्रो रिफ्लेक्टिव बोर्ड एवं इन्फोरमेशन बोर्ड

20. ट्यूबलर स्ट्रक्चरर्स स्टील पोल्स
21. जनरेटर
22. तारपोलिन, टेंट एवं छोलदारी
23. हेण्डसॉ ब्लेडस
24. वोल्टेज स्टेबलाईजर एवं सी.व्ही.टी. इन्वर्टर तथा सभी प्रकार के यू.पी.एस.
25. राउण्ड बार्स ऐंगल्स, चेनल प्लेट, टी, पाईप, ज्वायस्ट आदि, स्टील रि– रोलिंग मिल्स एण्ड फाउंड्रीज के उत्पाद
26. कास्टिंग जैसे– मेनहोल कवर, गेट्स आदि
    (अ) सभी प्रकार के फेरस एवं नान फेरस कास्टिंग
    (ब) सभी प्रकार की स्टील कास्टिंग
27. व्हील बरोस, शावेल, हाथ ठेला, गारबेज कंटेनर आदि ।
28. क्लोरिनेटर, ब्लीचिंग पावडर यूनिट, एलम डोजिंग यूनिट एवं पानी शुद्धिकरण संयंत्र
29. यू.पी.वी.सी. पाईप्स, एच.डी.पी.ई. पाईप एवं फिटिंग्स,
30. एम.एस. एवं एच.डी.पी.ई. स्टोरेज टैंक
31. पोलियोरेथिन फ्लेक्सिबल फोम मेट्रेसेस, कॉयर मेट्रेसेस, पिलोज आदि
32. बिटुमिन प्रायमर, सिलिंग कम्पाउण्ड, एक्सपान्शन ज्वाईंट फिलर बोर्ड
33. वाटर टैंकर एवं ट्रॉली
34. स्लॉटेड ऐंगल एवं एसेसरीज
35. प्री फेब्रिकेटेड केनाल स्ट्रक्चर–स्टोन एवं स्टील
36. पोलीप्रोपेलिन, एच.डी.पी.ई., एल.डी.पी.ई. शीट एवं कव्हर्स
37. न्यूमेटिक हेमर एवं स्पेयर्स
38. क्रेट्स (वुडन एवं प्लास्टिक)
39 सभी प्रकार के बूट्स एवं जूते कॅनवास शूज सहित (चमड़े के छोड़कर)

—00—

परिशिष्ट– 'ब'

(नियम 6 देखें)

उपार्जनकर्ता अभिकरण–

(1) संत रविदास म.प्र. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम

(2) म.प्र. राज्य हाथकरघा बुनकर सहकारी संघ मर्यादित

(3) म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

क्र.	संत रविदास म.प्र. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम	म.प्र. राज्य हाथकरघा बुनकर सहकारी संघ मर्यादित	म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
1.	गॉज एवं बैण्डेज	गॉज एवं बैण्डेज	–
2.	चादर/बेड स्प्रेड	चादर/बेड स्प्रेड	चादर/बेड स्प्रेड
3.	–	पर्दे एवं अपहोल्स्ट्री	पर्दे एवं अपहोल्स्ट्री
4.	–	–	सूती, ऊनी दरियां
5.	–	सूती, ऊनी फर्श	सूती, ऊनी फर्श
6.	–	–	कम्बल
7.	–	ऊनी शॉल	ऊनी शॉल
8.	ब्लेजर कपड़ा (ऊनी)	ब्लेजर कपड़ा (ऊनी)	ब्लेजर कपड़ा (ऊनी)
9.	मच्छरदानी/मच्छरदानी का कपड़ा (सूती)	मच्छरदानी/मच्छरदानी का कपड़ा (सूती)	–
10.	डस्टर/बस्ता क्लाथ	डस्टर/बस्ता क्लाथ	डस्टर/बस्ता क्लाथ
11.	टेबल क्लाथ	टेबल क्लाथ	टेबल क्लाथ
12.	टॉवेल/नेपकीन	टॉवेल/नेपकीन	टॉवेल/नेपकीन
13.	पुरूष कर्मचारी की वर्दी– पेंट, शर्ट, टोपी का कपड़ा	पुरूष कर्मचारी की वर्दी– पेंट, शर्ट, टोपी का कपड़ा	पुरूष कर्मचारी की वर्दी– पेंट, शर्ट, टोपी का कपड़ा
14.	महिला कर्मचारियों की वर्दी– साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट एवं सलवार सूट का कपड़ा	महिला कर्मचारियों की वर्दी– साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट एवं सलवार सूट का कपड़ा	महिला वर्दी–साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट एवं सलवार सूट का हाथकरघा कपड़ा

क्र.	म.प्र. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम	म.प्र. राज्य हाथकरघा बुनकर सहकारी संघ	म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
15.	समस्त प्रकार के सूती, ऊनी, रेशमी एवं मिश्रित मिल निर्मित धागे से निर्मित वस्त्र	समस्त प्रकार के सूती, ऊनी, रेशमी एवं मिश्रित मिल निर्मित धागे से निर्मित वस्त्र	समस्त प्रकार के सूती, ऊनी, रेशमी एवं मिश्रित हाथ कताई धागे से निर्मित वस्त्र
16.	फैंसी फाईल कव्हर्स/बैग (हाथ के छपे कपड़े से बने)	—	फैंसी फाईल कव्हर्स/बैग (हाथ के छपे कपड़े से बने)
17.	कार्यालय सजावट की वस्तुएं जैसे–आदिवासी लोक कला के चित्र, मूर्तियाँ आदि	—	कार्यालय सजावट की वस्तुएं जैसे–आदिवासी लोक कला के चित्र, मूर्तियाँ आदि
18.	—	—	चमड़ा (कच्चा–पक्का), चमड़े के जूते, चप्पल, बेल्ट, जैकेट, बैग, ब्रीफकेस, पिस्तौल/रिवाल्वर का कवर
19.	—	—	अगरबत्ती, कपड़े धोने का साबून, शहद, तैयार मसाले, सरसों का तेल, अचार, पापड़

–00–

भाग–2 सेवाओं का उपार्जन

37. प्रस्तावना:–

विभाग, किसी विशिष्ट कार्य के लिए जिसकी विषय वस्तु तथा कार्य को पूर्ण करने की समय–सीमा परिभाषित हो, बाह्य पेशेवरों (external professionals), परामर्शदाता फर्मों (consultancy firms) या परामर्शदाताओं (consultants) (जिसे इसके बाद परामर्शदाता कहा जाएगा) की सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे । इसके अतिरिक्त विभाग आवश्कतानुसार कतिपय सेवाएं आउटसोर्स भी कर सकेंगें । इस संबंध में विस्तृत अनुदेश, संबंधित विभागों द्वारा अपनी विशिष्ट आवश्यकता के दृष्टिगत जारी किए जा सकेंगे ।

38. परामर्शदाताओं द्वारा किए जाने वाले कार्य/सेवाओं की पहचान :–

परामर्शदाताओं को उच्च गुणवत्ता की सेवाओं, जिसके लिए विभाग के पास अपेक्षित विशेषज्ञता नहीं है, के लिए नियुक्त किया जा सकेगा। परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने से पहले सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना होगा।

39. सेवा उपार्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी :

सेवा उपार्जन हेतु स्वीकृति प्रदान करने के अधिकार राज्य शासन द्वारा किए गए वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के अनुसार अथवा सामान्य या विशिष्ट आदेश से अधिकृत अधिकारी को रहेंगे। निगमों, मण्डलों तथा अन्य अर्धशासकीय संस्थाओं अंतर्गत ये अधिकार उनके नियमों/उप नियमों/वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन से शासित होंगे ।

40. अपेक्षित सेवा का कार्य क्षेत्र (scope of the required service):–

विभागों द्वारा साधारण और स्पष्ट भाषा में सौंपे जाने वाले कार्य का उद्देश्य आवश्यकता एवं कार्य क्षेत्र नियत किया जाना होगा। परामर्शदाताओं द्वारा पूर्ण की जाने वाली पात्रता एवं अर्हता मापदंड का इस चरण में स्पष्ट उल्लेख किया जाना होगा।

41. अनुमानित व्यय (estimated expenditure):–

विभाग द्वारा परामर्शदाताओं को नियुक्त करने के पूर्व इस पर होने वाले व्यय का आंकलन प्रचलित बाजार स्थिति एवं इसी प्रकार के कार्यों में लगे अन्य संगठनों से परामर्श के आधार पर किया जाएगा।

42. <u>संभावित स्त्रोतों की पहचान (identification of likely sources)</u> :–

(i) जहां कार्य या सेवा का अनुमानित मूल्य रूपयें 5.00 लाख तक है, वहां इसी प्रकार के कार्यों में लगे दूसरे विभाग, वाणिज्य और उद्योग संघ, परामर्शदाताओं, फर्मों की एसोसिएशन आदि से औपचारिक या अनौपचारिक पूछताछ के आधार पर संबंधित विभाग द्वारा संभावित परामर्शदाताओं की विस्तृत सूची तैयार की जा सकेगी।

(ii) जहां कार्य या सेवा का अनुमानित मूल्य रूपये 5.00 लाख से अधिक है वहां उपयुक्त (i) के अतिरिक्त कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र एवं दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में परामर्शदाताओं की रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने हेतु संबंधित विभाग द्वारा संक्षिप्त विज्ञापन दिया जाएगा। विज्ञापन का विस्तृत विवरण विभाग/शासन के ई–पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित करते समय सेवा के क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण, परामर्शदाता द्वारा पूरी की जाने वाली अर्हता तथा परामर्शदाता का विगत अनुभव आदि का उल्लेख आवश्यक होगा। परामर्शदाताओं से अनुमानित कार्य या सेवा के उद्देश्यों और क्षेत्र पर टिप्पणियां भी आमंत्रित की जा सकेंगी। इच्छुक परामर्शदाताओं से प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 21 दिवस का समय दिया जाएगा।

43. <u>परामर्शदाताओं की छंटनी (shortlisting of consultants)</u>:–

इच्छुक परामर्शदाताओं से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर निर्धारित अपेक्षाएं पूरी करने वाले परामर्शदाताओं पर आगे विचार करने के लिए उनका चयन किया जाएगा। इस प्रकार चयनित परामर्शदाताओं की संख्या तीन से कम नहीं होगी।

44. <u>विषयवस्तु (terms of reference)</u> :– विषयवस्तु में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए :

(i) उद्देश्यों का विवरण (precise statement of objectives);
(ii) किए जाने वाले कार्य की रूप रेखा (outline of the tasks to be carried out);
(iii) कार्य पूरा करने की समयसारिणी (schedule for completion of tasks);
(iv) परामर्शदाता को विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता एवं जानकारी (the support or inputs to be provided by the Department to facilitate the consultancy);
(v) परामर्शदाता से अपेक्षित अंतिम परिणाम (the final outputs that will be required of the consultant);

45. <u>प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर.एफ.पी.) तैयार करना और जारी करना (prepration and issue of request for proposal)</u> :–

आर.एफ.पी. दस्तावेज का प्रयोग विभाग द्वारा अपेक्षित कार्य/सेवा के लिए परामर्शदाताओं से प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। चयनित किये गए परामर्शदातों से टू बिड प्रणाली में तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव मंगाने के लिए अनुरोध पत्र जारी किया जाएगा। आर.एफ.पी. में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे :

(i) परामर्शदातों को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया संबंधी सूचना

(ii) विचारार्थ विषय (टी ओ आर)

(iii) पात्रता एवं पूर्व अर्हता मापदंड, (रूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से पात्रता और अर्हता मापदंड सुनिश्चित न करने की दशा में)

(iv) परामर्शदाता दल के प्रमुख व्यक्तियों (personnel) की सूची, जिनकी अकादमिक तथा व्यावसायिक योग्यता और अनुभव का मूल्यांकन किया जाएगा,

(v) निविदा मूल्यांकन मानदंड और चयन प्रक्रिया

(vi) तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव के लिए मानक फार्मेट

(vii) प्रस्तावित संविदा की शर्तें

(viii) कार्य की प्रगति की मध्यावधि समीक्षा, और

(ix) अंतिम प्रारूप रिपोर्ट की समीक्षा के लिए अपनाई जाने वाली प्रस्तावित प्रक्रिया।

46. <u>विलंबित निविदा</u> :–

विलंबित निविदा अर्थात् विनिर्दिष्ट तारीख और समय के बाद प्राप्त हुई निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

47. <u>तकनीकी निविदा का मूल्यांकन</u> :–

तकनीकी निविदा का विश्लेषण और मूल्यांकन संबंधित विभाग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। यह समिति विश्लेषण और मूल्यांकन किए गए तकनीकी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने के कारणों को विस्तार में लिपिबद्ध करेगी।

48. <u>तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त निविदाकर्ताओं के वित्तीय प्रस्ताव का मूल्यांकन</u> :–

विभाग द्वारा मात्र उन निविदाकर्ताओं के वित्तीय प्रस्ताव को खोला जाएगा, जिन्हें मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी रूप से पात्र घोषित किया गया हो। इस तरह खोले गये वित्तीय प्रस्ताव का आर.एफ.पी. की शर्तों अनुसार मूल्यांकन और विश्लेषण कर संबंधित विभाग द्वारा सफल निविदाकर्ता का चयन किया जाएगा।

49. <u>परामर्शदाता का मनोनयन (consultancy by nomination)</u> :–

लोकहित में विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत किसी विशेष परामर्शदाता का चयन करना आवश्यक होने की दशा में तथा जहां विभाग के पास ऐसे एकल स्त्रोत चयन के लिए पर्याप्त औचित्य उपलब्ध हो; एकल स्त्रोत चयन के औचित्य को लिपिबद्ध करते हुए ऐसे एकल स्त्रोत का चयन करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

50. <u>संविदा की निगरानी (monitoring the contract)</u>:–

विभाग द्वारा परामर्शदाता के कार्य निष्पादन का सतत पर्यवेक्षण किया जाएगा ताकि परिणाम, उद्देश्यों के अनुरूप हो।

51. <u>सेवाओं की आउटसोर्सिंग (outsourcing of services)</u>:–

विभाग मितव्ययिता और कार्यकुशलता की दृष्टि से आवश्यकतानुसार सेवाओं की आउटसोर्सिंग कर सकेगा। इस हेतु विस्तृत अनुदेश और प्रक्रिया का निर्धारण संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा।

52. <u>संभावित संविदाकर्ताओं की पहचान (identification of likely contractors)</u>:–

विभाग द्वारा इसी प्रकार के कार्यों में संलग्न अन्य विभागों और संगठनों से औपचारिक या अनौपचारिक पूछताछ, व्यापारिक पत्र–पत्रिकाओं, वेबसाइट आदि के माध्यम से संभावित (potential) संविदाकर्ताओं की सूची तैयार की जाएगी।

53. <u>निविदा की तैयारी (preparation of tender enquiry)</u>:–

विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग कार्य हेतु निविदा दस्तावेज तैयार किया जाएगा, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित का भी उल्लेख होगा :

(i) संविदाकर्ता से कराए जाने वाले कार्य या सेवा का ब्यौरा,
(ii) विभाग द्वारा संविदाकर्ता को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं और जानकारियां,

(iii) अपेक्षित कार्य / सेवा करने के लिए संविदाकर्ता द्वारा पूरी की जाने वाली पात्रता और अर्हता मानदंड, और

(iv) संविदाकर्ता द्वारा पालन की जाने वाली साविधिक (statutory) और संविदागत बाध्यताएं (contractual obligations)

54. निविदाएं आमंत्रित करना (invitation of bids):–

(क) रुपये 5.00 लाख या कम के अनुमानित मूल्य के कार्य या सेवा के लिए, विभाग द्वारा नियम–52 अंतर्गत संभावित संविदाकर्ताओं की प्राथमिक सूची की जांच करते हुए प्रथम दृष्टया पात्र और सक्षम संविदाकर्ताओं का चयन किया जाकर नियम 11 के अनुसार सीमित निविदा के अन्तर्गत प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे। सीमित निविदा के लिए इस प्रकार पहचान किए गए संविदाकर्ताओं की संख्या छः से कम नहीं होनी चाहिए।

(ख) रुपये 5.00 लाख से अधिक के अनुमानित मूल्य के कार्य या सेवा के लिए विभाग द्वारा खुली निविदा आमंत्रित की जाएगी। इस हेतु व्यापक रूप से परिचालित एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र एवं दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में संक्षिप्त विज्ञापन दिया जाएगा। विज्ञापन का विस्तृत विवरण विभाग के ई–पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 21 दिवस का समय दिया जाएगा। प्रस्ताव टू बिड प्रणाली से मंगाए जायेंगे।

55. विलंबित निविदाएं (late bids):–

विलंबित निविदा अर्थात् विनिर्दिष्ट तारीख और समय के बाद प्राप्त होने वाली निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

56. तकनीकी प्रस्ताव का मूल्यांकन (evaluation of technical bid):–

तकनीकी निविदा का विश्लेषण और मूल्यांकन संबंधित विभाग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। यह समिति विश्लेषण और मूल्यांकन किए गए तकनीकी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने के कारणों को विस्तार में लिपिबद्ध करेगी।

57. वित्तीय प्रस्ताव का मूल्यांकन (evaluation of financial bid):–

विभाग द्वारा मात्र उन निविदाकर्ताओं के वित्तीय प्रस्ताव को खोला जाएगा, जिन्हें विभाग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी रूप से पात्र घोषित किया गया हो। इस तरह खोले गये वित्तीय प्रस्ताव का निविदा की शर्तों अनुसार मूल्यांकन और विश्लेषण कर संबंधित विभाग द्वारा सफल निविदाकर्ता का चयन किया जाएगा।

58. <u>पसंद से आउटसोर्सिंग (outsourcing by choice)</u>:–

यदि आपवादिक परिस्थिति में विशेष रूप से चुने गए संविदाकार को कोई कार्य आउटसोर्स करना आवश्यक हो, तो विभाग में सक्षम प्राधिकारी, वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने के बाद ऐसा कर सकेगा। ऐसे मामलों में विस्तृत औचित्य, पंसद से आउटसोर्सिंग करने की परिस्थितियां और इससे हल होने वाला विशेष हित या प्रयोजन भी प्रस्ताव का एक अभिन्न भाग होगा।

59. <u>संविदा का पर्यवेक्षण (monitoring the contract)</u> :–

विभाग द्वारा परामर्शदाता के कार्य निष्पादन का सतत पर्यवेक्षण किया जाएगा ताकि परिणाम, उद्देश्यों के अनुरूप हो।